

26/10/18

जफुला ए. करी. उपस्थित। अधिवक्ता पार्सी ने निम्नलिखित किया
विचारित पत्र पार्सी द्वारा उन्हें दिखायत पेशी नहीं दी/लेखी
ही दिखायी अधिशेष पर इतिहास की ही पार्सी के नाम
से उपलब्ध वक्त तक एक एक कर आवेदि लागवाई गई
लेकिन पार्सी की ओर से कोई हाजिर नहीं आया।

इस पार्सी पत्र केवल पेशी इदम हाजिरी में उपस्थित
किया जाता है। जिसमें फौजदार कुमार होकर नगर से कम
है। बाद इफतर दीया है।

(प्रवर्तसिंह बूढ़वाला)

उपबन्ध अधि. एवं बहालक

मसुदा (अजमेर) नं. २

